समाहरणालय, लातेहार
(आपूर्ति शाखा)
पुर्ननिविदा आमंत्रण सूचना

वित्तीय वर्ष 2017–18 में मुख्यमंत्री दाल–भात योजनान्तर्गत लातेहार जिला में कुल 12 (बारह) केन्द्र (दो रात्रि) केन्द्र संचालित है। शहरी क्षेत्र के प्रत्येक केन्द्र में प्रतिदिन 400 गरीब व्यक्तियों का, नगर पंचायत प्रखण्ड के प्रत्येक केन्द्रों में प्रतिदिन 300 गरीब व्यक्तियों एवं ग्रामीण प्रखण्ड के प्रत्येक केन्द्र में प्रतिदिन 200 गरीब व्यक्तियों को 5 (पांच) रूपये की दर से प्रत्येक दिन एक समय का खाना खिलाया जाना है। खाना में दाल–भात के साथ सप्ताह में 4 (चार) दिन चना एवं 3 (तीन) सोयाबीन बड़ी की सब्जी देनी है। इसके लिए शहरी क्षेत्र के प्रति केन्द्र प्रतिदिन 5 किलोग्राम चना/सोयाबीन बड़ी, नगर पंचायत क्षेत्र के प्रति केन्द्र 3.5 किलोग्राम चना/सोयाबीन बड़ी तथा ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक केन्द्र को प्रतिदिन 2.5 किलोग्राम चना/सोयाबीन बड़ी उपलब्ध कराई जानी है। उक्त सामाग्री आपूर्ति के लिए बाजार समिति से संबंध अनुज्ञप्तिधारियों को सूचित किया जाता है कि इच्छुक अनुज्ञप्तिधारी दिनांक 25.03.2017 को अपराह्न 03.00 बजे तक चावल, चना एवं सोयाबिन बडी का मूल्य निर्धारित कर बंद लिफाफा में निविदा जिला आपूर्ति शाखा लातेहार में बन्द बक्से में डालेंगे, जो दिनांक 25.03.2017 अपराह्न 03.30 बजे दर का निर्धारण एवं सामाग्रीयों की जांच कमिटी द्वारा की जायेगी। निविदा में निर्धारित दर एवं बाजार समिति द्वारा निर्धारित दर को मिलान करने के पश्चात न्युनतम दर वाले अनुज्ञप्तिधारी का चयन कर आपूर्ति हेतु आदेश निर्गत किया जायेगा।

निविदा हेतु निम्नलिखित अहर्त्ता का होना आवश्यक है:–

1. मुख्यमंत्री दाल–भात योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 की अवधि के लिए लातेहार जिला में अवस्थित कुल 12 (बारह) केन्द्रों (दो रात्रि दाल–भात केन्द्र सहित) पर संचालकों परिवहन–हथालन सहित चावल एवं चना, सोयाबिन बडी का न्यूनतम दर पर आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता भाग ले सकते है।
2. सामाग्री का नमूना चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक सामाग्री का एक ही नमूना मान्य होगा। चयनित आपूर्तिकर्ता को नमूना के अनुरूप ही सामाग्री की आपूर्ति करनी होगी।
3. "तकनीक बीड" एवं "वित्तीय बीड" दोनों मुहर बन्द लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में मुहरबंद कर निविदा डालेंगें। उस लिफाफा पर अपना नाम, पता एवं दूरभाष संख्या अंकित करेंगे तथा उपायुक्त लातेहार, के पदनाम से निविदा डालेंगे।
4. सामाग्री की अच्छी गुणवत्ता वाले आपूर्तिकर्ता को प्राथमिकता दी जायेगी।
5. अग्रधन की राषि 20,000.00 (बीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा उपायुक्त, लातेहार के नाम से भुगतेय होगा।
6. बाजार समिति से संबद्ध अनुज्ञप्तिधारी, व्यापारी होने से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
7. बाजार समिति द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर मान्य नहीं होगा। एक सामाग्री का एक ही दर मान्य होगा अधिक दर देने पर उसे रदद् समझा जायेगा।
8. पैन कार्ड, आयकर रिटर्न विगत तीन वर्षों का अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।
9. चयनित आपूर्तिकर्ता का एकरारनामा करना होगा की सामाग्रीयों की आपूर्ति माह के पहली सप्ताह के अन्दर केन्द्रों में करेंगें। अन्यथा एकरारनामा रदद् कर दी जायेगी।

10. निविदादाता को वगैर कारण बताये निविदा रदद् करने / स्थगित करने / समय में परिवर्तन करने / दर वार्ता करने / एक से अधिक निविदादाताओं के बीच कार्य वितरण करने का अधिकार उपायुक्त के पास सुरक्षित रहेगा।
11. निविदादाता का अनुभव प्रमाण पत्र (यदि हो तो) संलग्न की जाए।
12. निविदादाता का आवासीय प्रमाण पत्र अनुमंडल स्तर पर निर्गत तथा चरित्र प्रमाण पत्र उपायुक्त स्तर से बना होना आवश्यक है। चरित्र प्रमाण पत्र निविदा प्रकाशन की तिथि से 6 (छः) माह के अन्दर होना आवश्यक है।

निविदा की शर्तें कार्यालय के सूचनापटट् एवं लातेहार जिला के वेबसाईट www.latehar.nic.in पर उपलब्ध है, जिसे देखा जा सकता है।

14/03/17

उपायुक्त, लातेहार

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
लातेहार

वरीय पदाधिकारी
आपूर्ति शाखा
लातेहार